न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी **–:** **राजन खत्री,**
R.J.S.(DJ Cadre)

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या **–:** 156/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2023, पुलिस थाना पल्लू

अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 471, 482, 120 बी, भारतीय दंड संहिता

शक्तिसिंह पुत्र अमरसिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी छापरी, पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवाना।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:–

1. श्री छोटूराम सहू व श्री रोहिताश महिया, अधिवक्तागण –प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री उमेश कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक:– 02–06–2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480, भा.ना.सु.सं. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर द्वारा खारिज किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483, भा.ना.सु.सं. इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।

02. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रार्थी को प्रकरण में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है जिसमें सजा का प्रावधान केवल मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास हो। सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने पर उसके भागने व गवाहों को डराने या धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफतारी के समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, यदि प्रार्थी/अभियुक्त लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा तो उसके परिवार के समक्ष भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

03. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

04. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

05. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.07.2023 को परिवादी सुभाष ने पुलिस थाना पल्लू में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी से अप्रार्थी शक्तिसिंह व रामेश्वर आकर मिलने, उनका पिकअप गाड़ी का सौदा तय होने, अप्रार्थी द्वारा साई पेटे 2,22,580/–रूपये नकद दे देने और बाकी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक को किश्तों के हिसाब से देय करने व उसके साथ धोखा कर पिकअप ले जाने व किश्तें नहीं भरने के संबंध में रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है –

Sr. No.	*FIR No.*	*Police Station*	*Under Section*	*Status*
1.	199/22	सिविल लाईन अजमेर	342, 394, भारतीय न्याय संहिता	–
2.	72/22	दोलपुरा जयपुर ईस्ट	120 बी, 342, 365, 394, 401, 483, भारतीय दंड संहिता	–
3.	217/22	चित्रकूट जयपुर	379, भारतीय दंड संहिता	चालान
4.	243/23	शासकीय रेलवे पुलिस अजमेर	19/54, आबकारी अधिनियम	चालान
5.	53/25	रूपनगढ़ अजमेर	318(4),316(2), 61(2), 308(2), बी.एन.एस.	चालान
6.	79/23	शिवपुरी पाली	307, भारतीय दंड संहिता व 8/15, एन.डी.पी.एस. एक्ट व 3/25, आर्म्स एक्ट	चालान
7.	01/25	बाड़मेर	318(4), 61(2), बी.एन.एस.	चालान
8.	05/25	हरनावदा साहजी बांरा	8/15, 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट	चालान

06. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस ने अब तक अपने अनुसधान में धारा 420, 406, 471, 482, 120 बी, भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर परिवादी की गाड़ी खरीदकर उसके रूपये नहीं देकर छल कारित करने का गंभीर आरोप है। जहां तक कि दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में सह–अभियुक्त रामेश्वर उर्फ चिन्टू का जमानत का आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि सह–अभियुक्त प्रश्नगत इकरारनामे का केवल मात्र गवाह था, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा प्रश्नगत इकरारनामा निष्पादित किया जाना व गाड़ी परिवादी से प्राप्त किया जाना आरोपित है। इसके अतिरिक्त सह–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में केवल मात्र एक ही प्रकरण दर्ज था, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा कुल आठ प्रकरण दर्ज है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का आदतन अपराधी होना दर्शित होता है। ऐसे में उसके संबंध में प्रकरण के तथ्य सह–अभियुक्त रामेश्वर उर्फ चिन्टू से पर्याप्त भिन्नता हुए हुए हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **शक्तिसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(राजन खत्री)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
रावतसर

08. आदेश आज दिनांक 02–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.03 12:50:42 IST